न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत निवासी धमानिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती किशन कूंवर पत्नी भूरसिंह जी राजपूत निवासी धमानिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती फूल कंवर पत्नी भोपाल सिंह जी राजपूत निवासी धमानिया हाल खिमावतों का खेड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती भंवरकूंवर बेवा किशनसिंह जी राजपूत निवासी धमानिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री लालसिंह पिता किशन सिंह जी राजपूत निवासी धमानिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री प्रताप सिंह पिता श्री किशन सिंह जी राजपूत निवासी धमानिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 01–06–2016 प्रकरण संख्या 158/2013 रेवेन्यू वाद

————

उपस्थित :–1–श्री अभिमन्यू जाट अभिभाषक अपीलान्ट्स

2–श्री मदन ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

————/————

निर्णय **दिनांक 20–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत

करते हुए निवेदन किया कि ग्राम धमानिया तहसील वल्लभनगर के वाद पत्र की कम संख्या–1 वर्णित आराजीयात कूल किता–11 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि में पक्षकारान सभी राजस्व रेकार्ड में सह–खातेदार दर्ज है। भूरसिंह जी की पुत्रियों ने अपना हक हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या–1 वीरसिंह जी के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया है। अतएव भूरसिंह जी की पुत्रियों का इस भूमि में कोई हक नहीं है। भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्या–1 से 5 के नाम सह–खातेदारी में दर्ज है। भूमियों के उपयोग उपभोग में बाधा आती है। अतः भूमियों का विधिवत विभाजन करवाय जाय।

प्रतिवादी संख्या–1 (अपीलान्ट सं.1) ने खण्डन का जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–4 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3) ने भी प्रकरण में जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या–2 (अपीलान्ट संख्या–2) द्वारा भी प्रतिवादी संख्या–1 के जवाब को ही उसका जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 10–2–2015 को तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी में प्रकरण विचाराधीन था। इसी दौरान दिनांक 12–6–2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर वादिया तथा प्रतिवादी संख्या–4 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2) की उपस्थिति में वाद को सहमति मानकर प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, तथा प्रकरण को फेसल शुमार भी अंकित कर दिया। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कुछ भी अंकित नहीं है, परन्तु पत्रावली में दिनांक 1–6–2016 को निरीक्षक वल्लभनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री भी शामिल फाईल है।

अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 1–6–2016 के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 6–2–2016 को पेश की गई। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत हुए ताईद में शपथ पत्र भी दिया गया है।

हमारे द्वारा बहस सुनने के बाद यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 4–5–2015 को पत्रावली 20–7–2015 को साक्ष्य वादी में तय थी, परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 12–6–2015 को बिना अपीलान्ट को सूचना प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गई तथा उसके बाद अंतिम डिक्री की आदेशिका ही नही है एवं साथ ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए अपीलान्ट को सूचित किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। इसके बावजूद अंतिम डिक्री दिनांक 1–6–2016 को पारित कर दी गई है।

हम यह पाते है कि यह अपील अंतिम डिक्री दिनांक 1–6–2016 के विरूद्ध पारित की गई है जिसकी सूचना व जानकारी अपीलान्ट को होने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतएव आवेदन दफा–5 जाब्ता मयाद स्वीकार किया जाकर मयाद कण्डोन की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिसि जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री विजय ओस्तवाल ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 सरकार की और से ओपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 बावजूद सूचना के उपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट की प्रमुख अपील उजर यह है कि जो प्रारम्भिक आपत्ति से संबंधित हैं, वह उजर संख्या–2 में वर्णित है जिनकी अपील ही नहीं है। अतएव उस पर विचार किये जाने की कोई उपादेयता एवं विधिकता नहीं है। प्रकरण में जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है। अकपीलान्ट का उजर यह है कि विभाजन प्रस्ताव की तैयार करते समय उन्हें सूचना नहीं दी गई है, न ही अंतिम डिक्री जारी करते समय उन्हें सूचित किया गया, न ही सुना गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने निंाक 12–6–2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर पत्रावली को त्रुटिपूर्ण रूप से शुमार फैसल कर दिया है, तथा इसके बाद कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गई है, परन्तु तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्ति का पत्र लिखा गया है तथा विभाजन प्रस्ताव सीधे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रेषित किये गये है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी अपीलान्ट को सूचना पत्र तामिल नहीं हुआ है। स्पष्टतया अधिनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के बाद अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित नहीं किया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलान्ट को सूचित किया गया है अथवा नहीं तथा अधिनस्थ

न्यायालय ने अनाधिकृत निरीक्षक के विभागीय प्रस्तावों पर भी अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 1–6–2016 प्राकृतिक न्याय, तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर 2013 D.N.J. (रेवेन्यू) पेज 326 पेश की है, जिसमें प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री के विरूद्ध अलग अलग–2 अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है। हम सम्मान पूर्वक नजीर की पालना में सिर्फ अपीलाधीन अंतिम डिक्री पर ही विवेचना कर रहे है, भले से अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक ड्रिक्री की आपत्तियां भी वर्णित की है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 1–6–2016 को अपास्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित करते है कि हस्ब प्रारम्भिक तहसीलदार स्वयं से उभयपक्षों को सूचित कर विभाजन प्रस्ताव तलब कर उन पर आपत्ति होने पर उसका निस्तारण कर विधिक निर्णय पारित करने को प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिपेषित** किया जाता है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–1–2018 को पेश होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री नका पिता काना पारगी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर व अन्य–5	बनाम	**श्री नानालाल पिता रामा जी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर**

अपील नं0 **43/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**झाड़ोल** .....मुकाम मुर्क्खे.....**14**.....माह.....**05**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री सुरेश त्रिवेदी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री मनीष शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।